

राजस्थान सरकार  
निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- प.08 (पुस्तक क्रय) अकादि/15-16 /118

दिनांक :- 14 जुलाई 2020


समस्त प्राचार्यगण,  
राजकीय विधि/कृषि महाविद्यालय,  
राजस्थान ।

विषय:- अनुसूचित जाति बुक बैंक योजना वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भिजवाने के सम्बन्ध में।  
संदर्भ:- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्रांक 1864-1914 दिनांक 23 जून 2020 । ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर निवेदन है कि निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अपने संदर्भित पत्र में अवगत कराया है कि अनुसूचित जाति बुक बैंक योजनान्तर्गत राज्य की राजकीय विधि महाविद्यालय/राजस्थान कृषि महाविद्यालय के पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकें एवं आलमारी क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है । वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत प्रस्ताव शिक्षण संस्थान में सत्र 2020-21 में प्रवेशित/अध्ययन कर रहे अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं की प्रवेश तिथि से प्रमाणित सूचना निर्धारित प्रपत्र में भिजवाई जावे ।

अतः संलग्न किये गये पत्र में उल्लेखित निर्देशानुसार नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।  
संलग्न:- उपर्युक्तानुसार ।

  
(संदेश नायक)  
निदेशक


कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।

दिनांक :- 14 जुलाई 2020

क्रमांक:-

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का पत्रांक 1864-1914 दिनांक 23 जून 2020 ।
- 2- वेब प्रभारी, निदेशालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु प्रेषित है ।

  
(डॉ० दीपक मेहरा)

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)  
कॉलेज शिक्षा, राज0, जयपुर ।



I. B. No. 39 /PS/UG/20  
Dated 24/6/20

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र

क्रमांक एफ 9 (4)(128) छात्र0/बुक बैंक/अ.जाति/सा.न्या.अ.वि./2015-16/1864-1914 जयपुर, दिनांक 23/06/20

प्राचार्य, .....मेडिकल महाविद्यालय .....  
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय.....  
प्राचार्य, .....वेटनरी महाविद्यालय .....  
प्राचार्य, राजकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय.....  
प्राचार्य, राजकीय ..... पॉलिटेक्निक महाविद्यालय.....  
प्राचार्य, .....कृषि महाविद्यालय.....

विषय :- अनुसूचित जाति बुक बैंक योजना वर्ष 2020-21 के प्रस्ताव भिजवाने बाबत।

विषयान्तर्गत लेख है कि अनुसूचित जाति बुक बैंक योजनान्तर्गत राज्य की राजकीय/मान्यता प्राप्त मेडीकल, इंजीनियरिंग, कृषि, वेटनेरी एवं पोलिटेक्निक कॉलेजों में अध्ययनरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर, पाठ्यक्रमों विधि सी.ए., एम.बी.ए., बायो साईन्स एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यपुस्तकें एवं आलमारी क्रय करने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है।

वर्ष 2020-21 में योजनान्तर्गत प्रस्ताव शिक्षण संस्थान में सत्र 2020-21 में प्रवेशित/अध्ययन कर रहे अनु. जाति . के छात्र-छात्राओं की प्रवेश तिथि एवं पाठ्यक्रमवार प्रमाणित सूची निम्नांकित प्रारूप में हो :-

क्र. सं.	नाम	पिता का नाम	पाठ्यक्रम	माता-पिता का व्यवसाय	माता-पिता की वार्षिक आय	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र है अथवा नहीं
1	2	3	4	5	6	7

के साथ संलग्न जिन शिक्षण संस्थाओं के गत वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया है, उन्हें बुक बैंक योजना के अन्तर्गत इस वर्ष राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए निम्नानुसार देय राशि की दर से प्रस्ताव तैयार करावें।

S.No	Courses	Sharing Criteria	Ceiling per cet (or actual cost whichever is less) (In rupess)
1.	Degree courses in Medical/Enginerring	1 set for 2 students	7,500

F.A.  
24/6  
25.6.20  
973  
25.6.20

		students	
2.	Degree courses in veterinary	-do-	5,000
3.	Degree courses in Agriculture	-do-	4,500
4.	Polytechnics	-do-	2,400
5.	A. Post Graduate courses in Medical, Engineering. Agriculture and veterinary courses and such other technical alike course as are approved by the Universities/institutes of higher learning. B. Law courses, L.L.B. (3 years and 5 years) L.L.M. (2 years) C. Chartered Accountancy (intermediate and final) D. M.B.A. (2 yaeers) and slimilar courses E. Bio-Sciences	1 set per student	5,000

For storage of books and contingencies etc, the cost of steel almirah for storing books of each Book Bank including contingencies like transportation etc. the following expenses are admissible :

(I)Rs. 2000 or actual cost whichever is less.

(II)5% of the grant may be earmarked for expenses on binding, stiching etc.

**Note :- The said sets of books will also include Braille Books, Talking Books. Cassettes for the visually Handicapped students.**

योजना में औचित्य पूर्ण प्रस्ताव दिनांक 31.12.2020 तक प्रस्तुत करावें।

संलग्न :- उक्तानुसार प्रारूप A, I, II

213  
निदेशक

क्रमांक एफ 9 (4)(128) छात्र0/बुक बैंक/अ.जाति/सा.न्या.अ.वि./2015-16/1915-45 जयपुर, दिनांक 23/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक तकनीकी शिक्षा, जोधपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि सभी राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व राजकीय इंजिनियरिंग महाविद्यालय अपने स्तर पर पत्र जारी करने का श्रम करें।
2. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि सभी राजकीय कृषि/विधि कॉलेजों को अपने स्तर पर भी पत्र जारी करने का श्रम करें।
3. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
4. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ..... को प्रेषित कर लेख है कि जिले में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर पर सूचित करते हुए प्रस्तावों की अपने स्तर से जांच कर प्रस्ताव प्रेषित करें।

23/06/2020  
अतिरिक्त निदेशक  
छात्रवृत्ति एवं छात्रावास





## for SC Students

Course	No. of students to be covered during current financial year (Course-wise)	No. of sets of text book proposed	Cost of Text book sets	No. of Almirah etc. Proposed	Cost of Almirahs
1	2	3	4	5	6

**DEGREE :-**

1. Medical (Including Indian system of Medical / Homeopathy)					
2. Engineering (Including Architecture, Marine, Engg, Electronics Engg. etc.)					
3. Veterinary					
4. Agriculture					
5. Polytechnic					

**POST GRADUATE COURSES**

1. Post Graduate Courses in Medical, Engg. Agriculture and Veterinary courses and such other Technical/ alike courses as are approved by the Universities / Institutes of Higher Learning					
2. Law Courses LLB (three years and five years) (LLM two years)					
3. Chartered Accountancy (Intermediate and Final)					
4. MBA (two years) and Similar courses					
5. Bio-Sciences					

Name and Address of recognized Institute .....  
 proposed to be covered under the scheme .....  
 during current financial year .....

**For Sc Students**

**FORM GFR 19-A**

**(See Government of India's decision (1) before Rule 150)**

**From of Utilization Certificate**

S.No	Letter	No.&	Amount
	Date		

Certified that out of Rs..... of grant-in-aid sanctioned during the year.....in favour of ....., under this Ministry/Department, letter No. given in the margin and Rs.....on account of unspent balance of the previous year, a sum of Rs.....has been utilized for the purpose of .....for which it was sanctioned and that the balance of Rs.....remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Governemnt (vide No.....dated.....)/ will be adjusted towards the grant-in-aid payable during the next year.....

Signature.....

Designation.....

Date.....